कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 3088/FP/UK/ROAD/149730/2021 देहरादूनःदिनांकः 15 जून, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद—अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मटीला—शीतलाखेत मोटर मार्ग के ग्राम डाठ से अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.948 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः—आपकी पत्र संख्या—5469 / 12—1(2) दिनांक 08—06—2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :—

1. प्रस्ताव को बाइण्डिंग कर प्रेषित किया जाय।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग—1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न की जाय।
4. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट—I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।
5. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करें।
6. प्रस्ताव में हवाई दूरी के प्रमाण—पत्र को आई0टी0 सेल से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
10. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र—16 बांज वृक्षों के पातन के प्रमाण—पत्र में वन संरक्षक के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
11. प्रस्ताव में संलग्न प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
12. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW में अलग—अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
13. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट—II के पैरा—13 Additional information में प्रपत्रों को उनके नाम के साथ अपलोड करने का कष्ट करें।
14. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
15. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044 / 1—42(III) दिनांक 22—02—2022 एवं शासन के पत्रांक 290 / X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉं पाई गयी हैं अथवा जो अन्य बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों / सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों / सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

344
12-1(2)
7-7-022

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 3088 / **FP/UK/ROAD/149730/2021** तद्दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :–प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रतिलिपि :–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

पत्रांक-2. 344/12-1(2) दिनांक 07.07.2022

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि विषयक प्रकरण पर आपत्तियों का पूर्ण निराकरण कर प्रस्ताव 5 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।